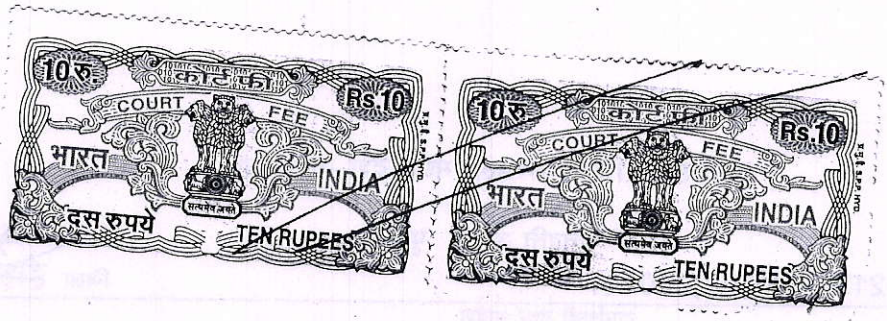

समक्षः—श्रीमान राजस्व मण्ड़ल मध्यप्रदेश (भोपाल केम्प)

1. श्रीमति सुन्दरो पति मन्नू उम्र 40 वर्ष
2. श्रीमति सुनीता पति लखन उम्र 35 वर्ष

साकिन देशावाड़ी तह. शाहपुर जिला बैतूल

.....रिवीजनर

बनाम

1. रामबाई पत्नी ओझूलाल उम्र 60 वर्ष

साकिन बांसपानी तह. घोडाडोंगरी जिला बैतूल

2. फागू वल्द प्यारे जाति कतिया

निवासी कलारीपट बंदी तह. केसला जिला होशंगाबाद पोस्ट भड़गदा

3. भंगो बाई पत्नी शिवदयाल जाति कतिया

निवासी बांसपानी तह. घोडाडोंगरी जिला बैतूल

.....गैर रिवीजनकर्ता

रिवीजन अन्तर्गत धारा .....50..... म.प्र. भू.रा.संहिता

रिवीजनकर्ता, श्रीमान तहसीलदार महोदय शाहपुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रं. 30/अ–6/2012–2013 में दिनांक 15/01/2014 में पारित आदेश से व्यथित होकर श्रीमान के समक्ष यह रिवीजन प्रस्तुत कर रहा है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 1217–पीबीआर/2014 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–4–2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार, शाहपुर के आदेश दिनांक 15–1–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण की ओर से इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि अनावेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के आधार पर नामांतरण की मांग की गई है, जबकि व्यवहार न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश निर्णय में नहीं दिया गया है और व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील जिला न्यायाधीश बैतूल के समक्ष प्रस्तुत की गई है, अतः अनावेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया जाये । इस संबंध में तहसीलदार द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि में से 2.16 एकड़ विभाजन के पश्चात अनावेदिका कमांक 1 को प्राप्त करने का अधिकार होने का आदेश दिया गया है और आवेदकगण की ओर से व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने संबंधी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही कोई स्थगन प्रस्तुत किया गया है । अतः प्रकरण में कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा प्रकरण में कार्यवाही जारी रखने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	